बिलों के प्रत्यक्ष डिस्काउंटिंग की योजना- विक्रेताओं के लिए

1. उद्देश्य

बिल डिस्काउंटिंग योजना के अधीन क्रेडिट, विद्युत क्षेत्र और नई विद्युत परियोजनाओं में विस्तार, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापना के लिए विद्युत क्षेत्र में क्रेताओं को आस्थगित भुगतान आधार पर मशीन, उपकरण और अन्य पूंजीगत वस्तुओं (जिसमें मशीनों के साथ पूर्ति होने वाली सहायक सामग्री और स्पेयर हैं) के विक्रय के लिए सभी उपकरण निर्माताओं के लिए उपलब्ध है।

2. तंत्र

योजना के अधीन, विक्रेता द्वारा क्रेता को उपकरण/ मशीन/ पूंजीगत वस्तुओं की डिलिवरी, खपत बिलों के द्वारा होती है जो यथावत् क्रेता के बैंकर द्वारा स्वीकृत/ गारंटित होता है। यथावत् कार्यान्वित खपत बिल (अर्ध-वार्षिक किश्तें) विक्रेता द्वारा डिस्काउंट की जाती हैं ताकि विक्रेता तुरंत भुगतान प सकें जबकि क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों की सुविधा प्राप्त करता है। विक्रेता पीएफ़सी से दो वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग होने वाली सीमा प्राप्त करता है। विशिष्ट प्रस्ताव (ओं) के लिए डिस्काउंटिंग से पहले, विक्रेता पीएफ़सी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करता है।

3. पात्रत मानदंड

- विक्रेता को तीन वर्ष के लिए प्रचालन में होना आवश्यक है।
- अच्छी निष्पादन रिपोर्ट और वित्तीय स्थिति।
- अपने अवधि ऋणदाताओं के प्रति चूक में न हों।

4. सहायता

बीमा, भाड़ा और कर सहित 100 प्रतिशत बीजक मूल्य है। लेनदेन की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रूपए से कम नहीं होगी। लेनदेन में एक से अधिक मशीन शामिल हो सकते हैं जिसकी लागत 1 करोड़ रूपए से कम हो सकती है।

5. प्रक्रिया

(क) पात्र विक्रेता को पीएफ़सी से डीडीएस सीमा प्राप्त करनी होगी।

(ख)डीडीएस सीमा मंजूरी तारीख से दो वर्षों के लिए वैध होगी।

(ग) डीडीएस सीमा के अधीन, विक्रेता खपत बिलों के सेट का आहरण कर सकता है।

(घ) बिल क्रेता द्वारा स्वीकृत और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा सह-स्वीकृत या गारंटित हों।

(ङ) बिल पीएफ़ के पक्ष में विक्रेता द्वारा समर्थित और डिस्काउंटिंग के लिए प्रस्तुत हों।

(च) पीएफ़सी बिल डिस्काउंट करेगा।

(छ)क्रेता/ गारंटी देने वाले बैंक से संबंधित देय तारीख पर बिल राशियां प्राप्त करेगा।

6. समय-अवधि

तीन वर्ष या कम, 5 वर्ष और 7 वर्ष।

7. ब्याज-दर

समय-समय पर अधिसूचित होने वाली ब्याज-दर के अनुसार।

8. प्रतिभूति

बिल क्रेता द्वारा स्वीकृत और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा सह-स्वीकृत या गारंटित हों। एसईबी/एसजीसी/केंद्रीय उत्पादन या पारेषण कंपनी या सरकारी उपक्रम द्वारा क्रय की स्थिति में, बैंक द्वारा बिलों की बैंक गारंटी/ सह-स्वीकृति की प्रतिभूति, 50 करोड़ रूपए के कुल संवितरण की सीमा तक सीमित नहीं है बशर्ते 0.5 % उच्च ब्याज दर और विद्युत संस्था द्वारा एस्क्रो खाते के खुलने तक।

9. पुनर्भुगतान

रीडयूसिंग शेष पर ब्याज सहित अर्ध-वार्षिक किश्तें।

10.स्टांप ड्यूटी

योजना के अधीन आहरित बिल भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आकृष्ट हैं।